भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 253
(19 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्त पोषण

253. श्री दयाकर पसुनूरीः
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु कितनी निधि आवंटित की गई है तथा योजना के वित्तपोषण हेतु क्या मापदंड अपनाए गए हैं;
(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के हिस्से में वृद्धि करने का निवेदन किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

क) : पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. इसमें लक्ष्य समूह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के निर्धन परिवार और जीर्ण और कच्चे मकानों में रहने वाले लोग थे।
ii. आईएवाई के 2 घटक थे: प्रथम घटक एक नए मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था और दूसरा घटक कच्चे या जीर्ण मकानों का उन्नयन करना था।
iii. आईएवाई के तहत निर्मित किए गए नए मकान का आकार शौचालय को छोड़कर न्यूनतम 20 वर्ग मीटर था।
iv. भूमिहीन लाभार्थियों के लिए मकान संबंधी स्थलों का प्रावधान था।
v. इस योजना के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए निधियों का 5% निर्धारित था, जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं, हिंसा, कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं, आदि से प्रभावित हुए बीपीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के आधार पर किया जा सकता था।

vi. निधियों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य हिस्सेदारी का अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 75:25 था। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% लागत का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था।

vii. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निधियों का 60% निर्धारित किया गया था।

viii. योजना के संचालन के लिए जारी की गई निधियों के 4% का उपयोग किया जा सकता था जिसमें से 0.5% निधियां राज्य स्तर पर रखी जा सकता थी और शेष राशि को जिलों को वितरित किया जाता था।

ix. जिला स्तर कार्यान्वयन, जिला परिषद या जिला-परिषद विहीन राज्यों में इसकी समकक्ष संस्था के माध्यम से तथा ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन, ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत विहीन राज्य में इसकी समकक्ष संस्था के माध्यम से किया जाता है।

x. राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का प्रावधान रहा है।

xi. आवासों का आवंटन करते समय कमजोर समूहों को प्राथमिकता दी जाती रही है।

xii. कार्य को पूरा करने का समय सामान्यत: कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 3 वर्ष रहा है।

xiii. बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, विद्युत आदि उपलब्ध कराने के लिए आईएवाई का केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल।

xiv. एक नए मकान के निर्माण के लिए इकाई लागत मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रूपये और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 75000 रूपये है।

xv. उन्नयन के लिए, इकाई सहायता 15,000 रू. तथा; पात्र भूमिहीन लाभार्थियों को मकान स्थल देने के लिए इकाई सहायता 20,000 रूपये रही है।

(ख) से (घ): आईएवाई का दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठन किया गया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18, वर्ष 2018-19 वर्ष 2019-20 के दौरान (दिनांक 14.11.2019 तक) जारी की गई निधियां क्रमश: 16058.00 करोड़ रू., 29889.86 करोड़ रू., 29961.67 करोड़ रू तथा 14113.08 करोड़ रू. थी। निधियों में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य हिस्सेदारी का अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10 हैं। अन्य सभी राज्यों के लिए निधियों में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 हैं। संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) के लिए संपूर्ण लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

एमएवाई-जी के अंतर्गत, मैदानी क्षेत्रों में मकान के निर्माण के लिए इकाई सहायता को 70,000 रू. से बढ़ाकर 1.20 लाख रू. किया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा आईएपी जिलों में 75,000 रू. से बढ़ाकर 1.30 लाख रू. किया गया है। आईएवाई के अंतर्गत उपलब्ध पीएमएवाई-जी मकान के आकार को भी 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर इस योजना में 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है।

******